of coins (of a total face value of Rs. 130 crores) as a one time measure.

(c) and (d) Under RBI Act, 1934, Reserve Bank is required to issue notes/ coins in exchange to any member of public. there is also no restriction on exchange of notes/coins among public themselves. However, due to shortage of coins unscrupulous elements do take advange of the situation. Government and RBI have taken steps to agument the supply of coins and simplify note exchange facility to ease this position.

Need to Increase Domestic Tourism

*199. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that over 100 million domestic tourists visit tourist sites all over India;

(b) if so, whether Government would consider this to be an important area for the tourism industry to target; and

(c) what are the plans of Government on the development of this potential?

THE MINISTER OF PARLIAMENTRY AFFAIRS AND THE MINISTER OF TOURISM (SHRI SRIKANTA KUMAR JENA): (a) According to the statistics available from State/UT Governments, the domestic tourist visits registered by the accommodation units during 1996 were estimated to be 141 million.

(b) and (c) The development of infrastructure for domestic tourism is being given considerable emphasis and a number of schemes like tourist complexes, tourist bungalows, yatri niwases, wayside amenities, etc. are being implemented by the State Government with Central financial assistance.

छोटे और बड़े परदे पर अश्लील और हिंसक दृश्य दिखाए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध

*200. **श्री रामगोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि छोटे और बड़े परदे पर दिखाए जाने वाले अश्लील और हिंसक दृश्यों में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में कुछ महिला संगठनों ने इसके विरोध में धरना दिया था या सरकार से कोई अपील की थी;

(ग) अश्लील तथा हिंसक दृश्यों के प्रदर्शन के लिए कौन-कौन से व्यक्ति/एजेन्सियां जिम्मेवार हैं और क्या सरकार इन व्यक्तियों/तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अश्लील और हिंसक दृश्यों के प्रदर्शन पर पूर्ण पाबंदी लगाने के लिए सरकार का अगला कदम क्या होगा; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी): (क) दूरदर्शन फिल्मों सहित अपने सभी कार्यक्रमों को प्रसारित करने से पहले उनका पूर्वदर्शन यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि वे परिवार के साथ देखे जाने के लिए उपयुक्त हों और प्रसारण तथा विज्ञापन संहिता के प्रावधानों के अनुरूप हों। इसके अलावा, दूरदर्शन केवल केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणित फिल्मों पर विचार करता है। जहां तक फिल्मों का संबंध है, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने से पहले उनमें अश्लीलता एवं हिंसा के दृश्यों को दूर करने के प्रति सचेत रहता है और यह सुनिश्चित करता है कि फिल्मों में कलात्मक अभिव्यक्ति तथा सृजनात्मक स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से काटे बिना फिल्मों का माध्यम समाज के मूल्यों एवं मानकों के प्रति जवाबदेह एवं संवेदनशील बना रहे।

(ख) कुछ महिला संगठनों ने थियेटरों में दिखाई गई कुछ फीचर फिल्मों और विभिन्न चैनलों पर प्रसारित [illegible] प्रकट किया है।

(ग) यद्यपि, किसी व्यक्ति को किसी फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

से प्रमाणपत्र लेना होता है तथापि, कभी-कभार फिल्मों को अन्तर्वीक्षण के साथ प्रदर्शित किया जाता है। थियेटरों से पुलिस द्वारा पकड़े गए कुछ प्रिन्टों में यह पाया गया था कि आयातकों/वितरकों ने फिल्म को प्रदर्शित करते समय उसमें अप्रमाणित दृश्य जोड़ दिए थे। चलचित्र अधिनियम की धारा 7(क) के अंतर्गत, सेंसरशिप संबंधी प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की है।

तथापि, वर्तमान में, उपग्रह चैनलों के कार्यक्रम भारत सरकार के विनियमों की परिधि के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(घ) और (ङ) चलचित्र अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए एक विधेयक दिनांक 18.8.92 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्वेशनों से संबंधित उल्लंघनों के लिए और अधिक सख्त दण्ड का प्रावधान है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने भी अपने अधिकारियों तथा सलाहकार पैनलों के सदस्यों को फिल्मों में अश्लीलता, अभद्रता तथा अत्यधिक हिंसा को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।।

सरकार ने दिनांक 16.5.97 को प्रसारण विधेयक, 1997 भी संसद में प्रस्तुत किया है जिसके माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित प्रसारण प्राधिकरण द्वारा सभी विदेशी उपग्रह चैनलों को प्रभावी विनियम के अंतर्गत लाया जाएगा।

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Modernisation of Air traffic Control Systems at Chennai, Delhi and Mumbai

1396. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) what is the present status of modernisation of Air Traffic Control Systems at Chennai, Delhi and Mumbai;

(b) whether it is a fact that there were possibility of ten near mid-air collisions reported since the worst ever mid-air collision between a Saudi Jumbo and a Kazakh transport aircraft in November, 1996; and

(c) if so, what are the effective steps taken by Government to prevent mid-air collision?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) the present status of modernisation of the three airports is as under:—

(i) DELHI-:The Instrument landing Systems and Air Traffic Control (ATC) Simulator have been commissioned. The System Site Acceptance Test of the integrated system of Delhi has been completed. the uni-directional corridor in the West for arriving/ departing aircraft will be commissioned in August, 1997.

(ii) MUMBAI:—The Instrument Landing Systems and ATC Simulator have been commissioned. The System Site Acceptance Test of the integrated system at Mumbai Airport will be completed by october, 1997. Thereafter, the system will be put on operational trials.

(iii) CHENNAI:—A satellite based Automatic Dependent Surveillance System is likely to be commissioned by November, 1997. The new Primary and Secondary Mode 'S' Radar is scheduled to be completed by December, 1997.

(b) There were possibility of three mid-air collisions which were timely averted since the mid-air collision on 12.11.96 near Delhi.

(c) The main steps taken to avoid chances of mid-air collisions are: (i) Refresher courses to update professional knowledge of Air Traffic Controllers, (ii) Periodical proficiency checks of Air Traffic Controllers, (iii) Modernisation of Air Traffic Services at Delhi and Mumbai airports, (iv) Proper maintenance of navigation and communication and landing facilities, and (v) Compulsory installation of ACAS on every aircraft flying in Indian skies in a time-bound manner.